ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी– आपका मतदान 100 प्रतिशत गोपनीय सुरक्षित

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में सभी 65367 मतदान केन्द्रों पर ईव्हीएम के साथ व्हीव्हीपीएटी पर मतदाता अपने मत की पुष्टि करते हुए मतदान करेगा।

यदि मतदान के दौरान ईव्हीएम (बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट) कार्य नहीं कर रहा है तो ईव्हीएम एंव व्हीव्हीपीएटी का रिजर्व का सेट सेक्टर ऑफिसर से प्राप्त कर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान जारी रखा जावेगा। नए सेट से वास्तविक मतदान कराने के पूर्व, मशीन में प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटा सहित एक एक वोट डालकर मॉकपोल किया जावेगा तथा मॉकपोल स्लिप में मॉकपोल स्लिप की सील लगाते हुए काले लिफाफे में सील कर प्लास्टिक बॉक्स में रखते हुए पिंक पेपर सील से सील करेगा तथा मॉकपोल सर्टिफिकेट जारी करेगा।

यदि व्हीव्हीपीएटी की बैटरी कार्य नहीं कर रही है या डिस्चार्ज के कारण क्रियाशील नहीं है तो केवल मशीन को ऑफ कर व्हीव्हीपीएटी की नवीन बैटरी लगाई जावेगी। यदि केवल व्हीव्हीपीएटी में प्रिंटर एरर (पर्ची मुद्रित नही हो रही है या नीचे नही गिर रही है) आ रही है तो मशीन को बंद कर रिजर्व के व्हीव्हीपीएटी सेक्टर ऑफिसर से प्राप्त कर बदला जावेगा, ऐसी स्थिति में मॉकपोल नहीं किया जावेगा।

मतदाताओं द्वारा दिया गया मत कंट्रोल यूनिट में पूर्णतः सुरक्षित है तथा उसकी व्हीव्हीपीएटी की पर्ची ड्रॉपबॉक्स में भी पूर्णतः सुरक्षित रहती है। मशीनें मतदान के दौरान कार्यशील न होने पर भी पूर्व में डाले गए सभी मत गोपनीय एवं सुरक्षित रहते है।

अपेक्षा की जाती है कि निर्भीक होकर ईव्हीएम से मतदान कर व्हीव्हीपीएटी की पर्ची देखकर अपने मत की पुष्टि करें तथा लोकतंत्र को मजबूत बनायें।